फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भादरा

भालसिंह बनाम मेहरचन्द

किस्म मुकदमा 88 RTA नं. 127 / 9.6.18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
9/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प महाजन में पेश हुई पक्ष हाजिर है वादीगण एवं प्रतिवादी गण 1 व 2 उपस्थित। राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। राजीनामा स्वीकार किया जाकर तथा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री [illegible] किया जाता है तथा खेवट खतौनी है [illegible] SMRH के खाता [illegible] खसरा 129/98 की कुल 2.112 हैक्टेयर में प्रतिवादी नम्बर एक का नाम [illegible] में प्रतिवादी नम्बर एक का [illegible] प्रतिवादी नम्बर एक [illegible] के नाम [illegible] [illegible] प्रतिवादी नं 2 के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के पश्चात [illegible]	अ.नि. भालसिंह गोरीशंकर पटवार अ.नि. मेहरचन्द जसौवरी पटवार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] -2 [illegible] [illegible] 10/0/15 [illegible] [illegible] / पत्रावली [illegible] दाखिल हो RW [signature]	

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हंनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 127/18

अनवान :

1. भालसिंह पुत्र मेहरचन्द जातिं जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. गोरीशंकर पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. मेहरचन्द पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. जसवीरीदेवी पुत्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प महराना में वकीलवादी श्री दलवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 MRN के खाता सं0 129/98 मु0न0 8 किला न0 3 ता 8, मु0न0 9 किला न0 14, 17, 18/1 कुल 2.113 है0 नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब खातेदारी दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रतिवादी सं. 2 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... जिला हनुमानगढ़